न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 281 / 2021

प्रार्थीगण :–
1. गोरधनराम पुत्र पूनाराम
2. ओमाराम पुत्र पूनाराम

जातियान जाट निवासी लवारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. भंवरी पुत्री लालाराम
2. मोहनराम पुत्र रामूराम
3. परूड़ी पत्नि नाथाराम
4. भगवती पत्नि दयालराम

सभी जातियान जाट निवासीगण लवारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

5. प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बोरून्दा ।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री मधुसुदन चौधरी अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से
श्री राजेन्द्र देवड़ा अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 30.03.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:– ग्राम लवारी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 5.0239 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ व खसरा नम्बर 101/2 रकबा 4.8540 किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है । वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 101 के पूर्वी व उत्तरी तरफ अप्रार्थी सं. दो से चार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 102 आई हुई है तथा खसरा नम्बर 101/2 के उत्तरी तरफ अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 105 आई हुई है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो के बीच में पुराने माठे–धोरे लगे हुए है । दिनांक 25.05.2021 को अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 101 की पूर्वी व उत्तरी माठ व खसरानम्बर 101/2 की उत्तरी–पश्चिमी माठ को जे. सी.बी. मशीन से बिखेर दिया व माठ पर खड़े अग्रेजी बबूल, खेजड़ी के वृक्ष उखाड़ दिये । जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐलानिया कहा कि आपके खेत में जबरन पक्की दीवार बनाकर कब्जा करके रहेगे व जबरदस्ती अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि मे ट्रेक्टर से तविया निकाल कर व निर्माण सामग्री डालकर वादग्रस्त भूमि मे बिना कोई नाप चौक करवाये, बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के दीवार बनाने पर उतारू हो गये जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर तारबंदी करवाना चाहते है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 101 व 101/2 का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

जाकर पत्थरगढी/मुण्डागढी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देंगे एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देंगे एवं नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देंगे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम लवारी मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा 101 क्षैत्रफल 5.0239 हैक्टेयर व खसरा नं. 101/2 क्षैत्रफल 4.8540 हैक्टेयर भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी/मुण्डागढी करवाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.6.2021 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. एक, दो व छः के सम्मन बाद तामिल हुए । अप्रार्थी सं. एक व दो की ओर से वकील मधुसुदन चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं. तीन व चार की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जवाब नही देकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से सहमति जाहिर की। अप्रार्थी सं. पांच व छः औपचारिक पक्षकार है । अप्रार्थी सं. एक व दो की ओर वकील मधुसुदन चौधरी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 25.05.2021 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कोई माठ नही बिखेरी बल्कि अप्रार्थीगण ने अपनी सीमा मे ही दक्षिणी माठ पर पत्थरो की पक्की चार दिवारी करने हेतु पक्की दिवार निकाली जो करीब चार से पांच फुट उंचाई तक निकल चुकी है। अप्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नं. 105 मे दक्षिणी सीमा मे ही दिवार निकाली है। क्योकि प्रार्थीगण की सहमति से ही अप्रार्थीगण ने बीच सीमा पर डिमार्केशन कर नीवे खोदी तथा दिवार निकालनी शुरू की जो दिवार जमीन से चार पांच फुट उंची निकल चुकी है तथा अब मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावे।

हमने दिनांक 30.03.2022 बहस पक्षकारान सुनी जाकर जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम लवारी की राजस्व सीमा मे स्थित प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 101 रकबा 5.0239 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 101/2 भूमि का नाप चौक करवाया जाकर सीमांकन करवाया जाकर पत्थर गड्ढी की जाने का आदेश फरमावे। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. एक व दो ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मिथ्या, सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावें एवं वकील अप्रार्थी सं. तीन व चार ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से सहमति जाहिर की कि उक्त पत्थरगढ़ी की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नही है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 101/2, 101 का नाप चौप करवा कर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम लवारी के खसरा नम्बर 101/2, 101 का राजस्व टीम गठित कर नाप चौप कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । इस

30/3
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। आवश्यकतानुसार पुलिस की सहायता पुलिस थाना बोरून्दा से प्राप्त करें ।SHO/TDR को तहरीर जारी हो ।

(दूदाराम)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(दूदाराम)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर